रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –3 ● कानपुर 1 से 15 फरवरी 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

पंजीयन का मुद्दा मुख्यमंत्री की चौखट पर पहुँचा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के पंजीयन का मामला पिछले कई वर्ष से अधर की स्थिति में लटका है यद्यपि इस मामले में जितनी सरकार ढिली है उससे कम हमारे चिकित्सक भी नहीं है जब एक बार यह बात तय हो गयी कि प्रदेश में वही चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकारी है जो अपने चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप के साथ जमा करता है तो फिर हमारे चिकित्सक इस कार्य से विरत क्यों हैं ? हम इन सब बातों पर न जाकर यह जानते हैं कि जो अधिकार हमें मिले हैं उनका पालन हमें खुद ही करना होगा। 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन ने बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। अब प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की भांति अधिकार प्राप्त है अर्थात इस विधा के चिकित्सक पूर्ण अधिकार से प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय कर सकेंगे जब प्रदेश के अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के चिकित्सक अपने पंजीयन सम्बन्धी आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक इसके पीछे क्यों हैं ?यह हमारा अधिकार है और अधिकार को मानना व अधिकार को लेना हमारा दायित्व भी है, लेकिन इसे हम महज़ संयोग ही मानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से जुड़े चिकित्सक अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है तो कोसों दूर हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे चिकित्सक अधिकार का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चिकित्सक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हों जब बोर्ड ने यह निर्देश दिया कि अधिकार पूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करना है तो हमारे कुछ चिकित्सक आवेदन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय गये, वहां पर उन चिकित्सकों के साथ जो व्यवहार हुआ वह कतई उचित नहीं था। अधिकांश मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि हमें इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कुछ अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शासनादेश तो होते ही रहते हैं।

जब हमारा उच्च अधिकारी अर्थात चिकित्सा महानिदेशक हमें निर्देशित करेगा तभी हम आपके बारे में कुछ विचार करेंगे जैसे ही यह प्रकरण बोर्ड को ज्ञात हुआ बोर्ड ने इसे तत्परता से संज्ञान में लिया और महानिदेशक से इस विषय पर निर्णय लेने को निवेदन किया प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने मामले की गम्भीरता को समझा और तत्काल निर्णय लेते हुए अपने अधीनस्थ अपर निदेशकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश का शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही की जाये जैसे ही यह पत्र आया बोर्ड ने शासन द्वारा प्रेषित पत्रों के अलावा स्वतः अपने स्तर से जनपद के हर मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ– साथ हर मण्डल के अपर निदेशक तक इस पत्र को पहुँचाने का प्रयास किया इसके बाद बोर्ड ने अपने चिकित्सकों को पुनः निर्देश दिया कि वह एक बार और प्रयास करें इस बार अधिकारियों की भाषा बदली हुई थी उन्होंने आवेदन पत्र लेने से इंकार भी नहीं किया और लिया भी नहीं लेकिन कुछ जनपदों के मुख्यचिकित्सा अधिकारियों ने आवेदन सहर्ष स्वीकार किये लेकिन यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए है मात्र कुछ जनपदों के चिकित्साधिकारियों द्वारा सहदयता दिखाने से काम नहीं बनने वाला इसलिए बोर्ड ने इस आशय की सूचना एक बार फिर शासन को दी शासन द्वारा पुनः निर्देश प्राप्त होने के बावजूद भी अधिकारियों की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया तब बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह प्रकरण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में लाया और आज प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का पंजीयन का मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री की चौखट पर है और बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि इस प्रकरण का शीघ्र ही समाधान होगा। जैसे ही यह प्रकरण निस्तारित होता है उस समय प्रदेश के सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत करें। क्योंकि यदि इस बार आप ने यह अवसर गवांया तो बोर्ड ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकता है।

चूंकि जब तक आप अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक आप किसी भी अधिकारों का उपयोग करने के अधिकारी न होंगे इस समस्या का निदान होते ही कोई चिकित्सक मान्यता होने न होने का प्रश्न नहीं कर सकता और जो व्यक्ति या जो समूह पंजीयन के विषय पर सहमति की राय नहीं रखते हैं उनको भी अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा।

मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्याओं से अवगत, समाधान के प्रति गम्भीर

प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं से अवगत हैं और वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के प्रति गम्भीर भी हैं प्रदेश सरकार हर कदम में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के साथ है यह विचार उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्यय प्रसंस्करण एवं उद्यान राज्यमंत्री मा0 ठाकुर मूलचन्द्र चौहान ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी की 207 वीं जन्म तिथि के अवसर पर ई0एम0एस0 बिजनौर जिला इकाई द्वारा धामपुर के शुभम् मण्डप में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज की मांग है क्योंकि यह पूर्णतयः प्रकृति पर आधारित है चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां अपनी अपनी भूमिका का निर्वाहन कर रही हैं वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर जनसामान्य को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम कौ सम्बोधित करते हुए ई0डी0ओ0 इण्डिया के चेयरमैन डा0 डी0 के0 पाल ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा इस पैथी के चिकित्सकों के हितार्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू न करने वाले चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाये महानिदेशक चिकित्सा उ0प्र0 ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता और अतिथियों का स्वागत डा0 हरिओम गुप्ता ने किया वक्ताओं में डा0 जे0 एस0 गिल,जालन्धर पंजाब,डा0राजेश जैन शामली, के0 अहमद अन्सारी,लखनऊ,डा0 राम कुमार शर्मा धामपुर,डा0रविपाल सिंह,डा0 एम0एस0चौहान,रईस अहमद,गीता सिंह,मंजू सिंह,शाहना परवीन गुरूचरण सिंह,शकील चौहान,आजाद चौहान,दिलेर राणा,अर्जुन सिंह,संजय सिंह, दलवीर सिंह, एम0ए0 अन्सारी,गजेन्द्र सिंह, विरजेन्द्र सिंह, असलम,जफर जैदी, सैफी, साजिद, रमेश गिरि,हरिओम सिंह,अकील अहमद ,इस्लाम अहमद, आर0पी0 सिंह, वन्दना,जिआउर रहमान आदि लोगो ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर चर्चा की। कार्यक्रम के संयोजक डा0 जूनैद अहमद व डा0 भूपेन्द्र कुमार ने माननीय मंत्री सहित सभी मंचासीन अतिथियों को शाल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वी0आर फार्मा द्वारा सभी उपस्थित लोगो को गिफ्ट पैक वितरित किये गये कार्यक्रम का संचालन डा0 भूपेन्द्र सिंह और डा0 अनिल शर्मा द्वारा किया गया।

पूरे प्रदेश में डा0 काउण्ट सीजर मैटी जन्मोत्सव मनाने के समाचार हमें मिले है देवरिया में डा0 पी0के0 श्रीवास्वत द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोरखपुर में डा0 एस0के0पाठक

शेष अंतिम पेज पर

उ0प्र0 सरकार के खाद्यय प्रसंस्करण एवं उद्यान राज्यमंत्री मा0 ठाकुर मूलचन्द्र चौहान मैटी को माल्यापर्ण करते हुये।

वैचारिक समानता की कमी

किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य के लिए समर्पित व्यक्तियों के बीच वैचारिक समानता का होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यदि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैचारिक विरोधाभास है तो लक्ष्य की प्राप्ति दुष्कर हो जाती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज इसी स्थिति से जूझ रही है। जब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पुनर्जीवन मिला है तब से लगातार पूरे देश में इस चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने के तरह–तरह के प्रयास लगातार जारी हैं कुछ लोगों का यह मानना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए पहले नियमन होना चाहिये फिर मान्यता की बात होनी चाहिये और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे मान्यता की बात करते हैं। यह सत्य है कि जिस चिकित्सा पद्धति को मान्यता मिल जाती है उसके विकास के रास्ते स्वयं खुल जाते हैं और जब तक मान्यता नहीं मिलती है तब तक उस चिकित्सा पद्धति को लगातार जनमानस के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष मात्र कार्य से ही सम्भव होता है।

आज देश में दो तरह की स्थितियां हैं एक स्थिति वह है जो मध्यम मार्ग अपनाते हुए मान्यता की राह तक पहुँचना चाहते हैं दूसरे वह हैं जो सिर्फ आक्रामक रवैया अपना कर मान्यता हथियाना चाहते हैं। ऐसे लोग लोकतन्त्र की दुहाई देते हुए इस बात का जबरजस्त प्रचार कर रहे हैं कि लोकतन्त्र में सिर्फ़ भीड़ के माध्यम से ही सफ़लता पायी जा सकती है। हो सकता है कि उनकी दृष्टि में यह विचार सही हो लेकिन इस विचार को सही करने के लिए भी कार्य की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और कोई भी सरकार किसी भी चिकित्सा पद्धति को संचालित होते रहने की अनुमति तभी देती है जब वह चिकित्सा पद्धति अपनी जनउपयोगिता सिद्ध कर देती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समय–समय पर बहुत सी परीक्षायें देनी पड़ी हैं न्यायिक परीक्षा व भौतिक परीक्षा दोनों परीक्षाओं में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सफ़ल रही है अब आवश्यकता है कि अपने कार्य के माध्यम से इस चिकित्सा पद्धति को इतना ज्यादा प्रसारित किया जाये जिससे कि समाज यह स्वतः स्वीकारने लगे कि यह चिकित्सा पद्धति इतनी गुणकारी है जिसके लिए किसी भी तरह के तर्कों का कोई स्थान नहीं है। मान्यता लेना और मान्यता देना दोनों अलग–अलग बातें हैं मान्यता देने वाला मान्यता लेने वाले की हर स्तर से परीक्षा लेता है और जो व्यक्ति, जो संगठन इस कसौटी में खरा उतरता है वही मान्यता का सच्चा हकदार होता है, इस मान्यता का सुख सब भोगना चाहते हैं परन्तु जब बात कसौटी की आती है तो मुहँ फेर लेते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देना अति आवश्यक है इसके लिए हर सम्भव प्रयास किये गये चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए व चिकित्सकों तक यह सन्देश पहुँचाने के लिए यथासम्भव यत्न किये गये, लेकिन एक वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जिन चिकित्सकों ने पंजीयन हेतु आवेदन पत्र भेजे हैं उनकी संख्या नगण्य जैसी है अब आप स्वयं विचार कीजिए जब हमारा चिकित्सक अधिकारपूर्वक अपने अधिकारिता को पाने में मुहँ मोड़ रहा है ये मान्यता की बात क्या करेंगे ?

चूकि मान्यता के बाद भी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन तो देना ही पड़ेगा यह तो रही बात उत्तर प्रदेश की, अन्य राज्यों में जहां पर उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है वहां पर अधिकारपूर्वक प्रैक्टिस करने के लिए अपने राज्य में ही पंजीकृत होने की शर्त होती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके चिकित्सक सबसे ज़्यादा केन्द्रीय पंजीकरण पर निर्भर हैं जब कि वास्तविकता यह है कि जो जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है उसे अपने राज्य की राज्य परिषद में ही पंजीकरण करना होता है यदि सरकार केन्द्रीय मान्यता दे भी देती है तो उस समय भी राज्य की उपयोगिता समाप्त नहीं होगी।

दबकर नहीं खुलकर कहो कि अनुमति है

इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत से जुड़ा हर व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा को देश और प्रदेश में संचालित होते रहने के लिए शासकीय अनुमति है और इसी अनुमति के आधार पर पूरे देश में कार्य हो रहा है परन्तु कुछ लोग अभी भी इस अनुमति को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्यों है ?यह हम नहीं लिख सकते हैं लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग इस अनुमति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं निश्चित रूप से उनके मन में कोई न कोई हीन भावना अवश्य है तभी तो जब भी कभी उन्हें अवसर मिलता है तो वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्राप्त इस अनुमति का मज़ाक उड़ाने लगते हैं।

लेकिन अन्तः करण से वह स्वयं भी इस अनुमति को स्वीकार करते हैं एक बार पुनः आपको स्मरण दिला दें कि 1998 में एक जनहित याचिका में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को संचालित होते रहने के लिए सरकार को कुछ बिन्दुओं का पालन करते हुए कानून बनाने का निर्देश दिया था सरकार द्वारा इस आदेश कि कोई क्रियान्वित करने की योजना नहीं दिखायी गयी एक बार पुनः यह मामला सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, इधर उत्साही इलेक्ट्रो होम्योपैथों द्वारा लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की मांग की जाने लगी, जैसे कि मांग आजकल पुनः की जा रही है सरकार ने अवसर का लाभ उठाया और दिल्ली हाईकोर्ट व मान्यता के प्रकरण का घालमेल करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया दो वर्ष के बाद 25 नवम्बर, 2003 को सरकार द्वारा गठित इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जिसमें कमेटी ने सरकार से सिफ़ारिश की कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी मान्यता के मापदण्डों की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है जिसका परिणाम आप सबने देखा व भोगा भी है। कमेटी ने लिखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता के मापदण्डों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी पर समाचार पत्रों में इसे कुछ इस तरह से प्रकाशित किया कि मानों इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता छिन गयी हो और पूरे देश में एक अजीब से स्थिति निर्मित हो गयी हर जगह एक शान्ति और नीरवता के दर्शन होने लगे तभी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के लिए लाम्बित वाद में हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि जो संस्थायें चिकित्सा प्रमाण पत्र दे रही हैं वह अपना पंजीयन शासन में करायें और जो चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त हैं वह अपना पंजीयन जनपद के मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में करायें यह प्रदेश के लिए विषम स्थिति थी उस समय भी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपने पंजीयन का आवेदन शासन को प्रेषित किया शासन ने उसे स्वीकारा प्रदेश में अन्य संचालित होने वाली दर्जनों संस्थाओं ने न्यायालय की शरण ली और पंजीकरण की मांग की परिणाम से हम सब अवगत हैं एक झटके में प्रदेश की सारी संस्थायें बन्द हो गयीं यह निर्विवाद रूप से सत्य है, कि एन0 ई0 एच0 एम0 ऑफ़ इण्डिया की पहल पर भारत सरकार द्वारा 5–5–2010 का स्पष्टीकरण आदेश सरकार द्वारा दिया गया लेकिन यह महज़ स्पष्टीकरण आदेश था इस आदेश से कार्य करने की कोई स्थिति नहीं बन रही थी।

तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने भारत सरकार से सतत् पत्र व्यवहार किया और 21 जून, 2011 का एतिहासिक आदेश प्राप्त किया जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास में अभी भी मील के पत्थर की तरह खड़ा है इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जब तक 25 नवम्बर, 2003 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाता रहेगा तबतक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। इतना ही नहीं सरकार ने यह भी लिखा कि इस आदेश को भारत सरकार का निर्देश माना जाये तथा इस आदेश का क्रियान्वयन देश के प्रत्येक राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों को करने के लिए कहा यह आदेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित हुआ।

चूंकि 2004 में माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने अपने पंजीयन का आवेदन पहले ही शासन में दे रखा था इसलिए प्रदेश में यही एक मात्र संस्था भारत सरकार के आदेश का लाभ उठाने के लिए सक्षम थी फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग –6 द्वारा 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में एक शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विधि सम्मत ढंग से संचालित होते रहने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।

अब आज स्थिति यह है कि प्रदेश में एक मात्र संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही है जो विधि सम्मत ढंग से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन कर सकती है इस तरह से प्रदेश में बोर्ड के अलावा जो भी संस्थायें संचालित हो रही हैं वह अधिकार विहीन हैं और अधिकार पाने के लिए लालायित हैं अब जो कुछ संस्थायें इस बात का दुष्प्रचार कर रही हैं कि इस संस्था को सिर्फ़ कार्य करने की अनुमति है इसके लिए कोई कानून नहीं बना है यह बात कहने के पहले यह सोच लेना चाहिये कि सरकार उसी को अनुमति देती है जिसकी कार्यप्रणाली सरकार की कसौटी पर खरी उतरती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए है इसका उपयोग सभी लोग करें ऐसी हमारी भी इच्छा है लेकिन जो नियम और कानून हैं उनका पालन सबको करना होता है संस्थायें तमाम काम करती हैं लेकिन जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही काम करने के वास्तविक अधिकारी होते हैं इस विषय को समझने के लिए दो उदाहरण प्रस्तुत हैं देश और प्रदेश में हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए दर्जनों संस्थायें कार्य करती थीं परीक्षायें कराती थी पाठ्यक्रमों का संचालन करती थीं लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ़ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को ही मान्यता दी गयी थी, जो अभ्यर्थी इस संस्था से परीक्षा पास करते थे, प्रमाण पत्र व उपाधि लेते थे, वही सरकारी सेवाओं के लिए अर्ह होते थे। वक्त के साथ–साथ सब कुछ बदलता चला गया लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही एक मात्र हिन्दी का संस्थान रहा है, यही बात प्रदेश में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के लिए लागू होती है। जब तक सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं देती है तब तक इस स्थिति में परिवर्तन नहीं होना है। हो सकता है कि जब कभी सरकारी बोर्ड का गठन हो तो बहुत सम्भव है कि प्राथमिकता के आधार पर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का नाम ही तय किया जाये। दूसरा उदाहरण यह है कि देश में बहुत सारी राजनैतिज्ञ पार्टियां हैं सभी अपने–अपने दावे करती हैं लोकसभा व विधान सभा जाना चाहती हैं लेकिन जो जनता की कसौटी पर खरी उतरती है उसी के प्रत्याशी सरकार में प्रतिनिधि बनकर जाते है। अब यह उन लोगों को सोचना चाहिये कि अधिकारिता पर प्रश्न खड़ा करना कहाँ तक न्यायसंगत है सरकारी अनुमति प्राप्त होना कम बात नहीं है हम कल भी सबके साथ थे और आज भी सबको साथ लेकर चलने में ही विश्वास रखते हैं, चूंकि हम यह खुले मन से स्वीकार कर चूके हैं कि जब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सरकारीकरण होगा संस्थायें रहें या न रहें इलेक्ट्रो होम्योपैथी जरूर रहेगी।

इसलिए व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात होनी चाहिये दबकर नहीं खुलकर कहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम करने की शासकीय अनुमति है, इसमें कतई कोई भ्रम नहीं है।

"जब स्वयं भ्रम तोड़ देंगे तो चिकित्सक कभी भी भ्रमित नहीं होगा।"

क्यों धीमी पड़ रही है आन्दोलन की आँच

हमारे यहां ऋतुचक्र में 6 ऋतुएं हैं हर ऋतुओं का अलग–अलग महत्व है, जिनमें गर्मी और जाड़े दो ऐसे मौसम हैं जिनका कि सर्वाधिक प्रभाव समाज और समाज में रहने वाले जीवधारियों पर पड़ता है जहाँ ज्यादा गर्मी और गर्मी से पैदा होने वाली तपिश मनुष्य व जीवधारी को विहाल कर देती है वहीं सर्दी भी जब अपनी चरम पर आती है तो यह ऋतु भी कम तकलीफ़ नहीं देती है सिर्फ़ एक ऋतु है बसन्त जहाँ किसी को कष्ट नहीं होता है बसन्त में हर तरफ़ उत्साह और उमंग होता है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथों की कल्पना में भी कभी–कभी बसन्त की कमनीयता का आभास होने लगता है और हम इस कल्पना में डूब जाते हैं कि शायद कभी हमारे जीवन में भी बसन्त का प्रवेश होगा लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति पर दृष्टि डालते हैं तो बड़े से बड़े साकरात्मक सोच वाले भी यह सोचने लगते हैं कि क्या कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी बसन्त सी खुशगावरी आयेगी ?क्या हम सब मिलकर आपस में दिलों को मिलाकर एक स्वर से कह सकेंगे कि आयो आज पुनि बसन्तु ऋतु आयो ?लेकिन फिलहाल तो यह कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन में जिस तरह की शीतिलता छायी है उसके दर्शन शायद आकड़ों के आधार पर पिछले 50 सालों से नहीं हुआ आज से 50 साल पहले सन् 1965 में भी लोगों के अन्दर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक जोश था एक उत्साह था हर एक के मन में कुछ कर गुज़रने की तमन्ना थी,सन् 70 से लेकर 90 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्विणिम युग कहा जाता है। 1990 से लेकर 2000 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आन्दोलनों की भरमार रही है और इन्ही आन्दोलन का परिणाम था पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चर्चा होती रहती थी नकारात्मक से नकरात्मक आदेशों पर लोगों की सहानुभूति इलेक्ट्रो होम्योपैथों के प्रति होती थी। हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक समर्पित सिपाही की तरह त्याग की प्रतिमूर्ति बन कर हर समय खड़ा रहता था,वे भावनायें वे जज़बात कहां गये ? आज उनके दर्शन नहीं होते और इस परिदृश्य को देखकर मन यह कहने लगता है जाने कहाँ गये वे दिन ! लेकिन मात्र निराशा से काम नहीं बनता यह जीवन हमने कार्य करने के लिए पाया है यहाँ पर शतत् कार्य होते रहेने चाहिये कार्य पूरा होना या न होना यह कार्य पर निर्भर करता है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसमें सफ़लता क्यों नहीं मिल रही है ?इसका आत्म– निरीक्षण हमें स्वयं ही करना होगा। चूंकि जब कोई आन्दोलन चरम पर पहुँच कर बिना परिणाम प्राप्त किये धरातल को प्राप्त करता है निश्चित तौर पर ऐसे कार्यों को बार–बार चिन्तन करना चाहिये। इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन की धार कुन्द क्यों हो रही है ?इस पर हमें गहनता से चिन्तन करना होगा, चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है यह एक जनस्वास्थ्य से जुड़ा, एक महत्वपूर्ण विषय है यह चिकित्सा पद्धति जनस्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभा सकती है यह कई बार प्रमाणित भी हो चुका है इसके उपरान्त भी इस पद्धति का उतना विकास क्यों नहीं हो पा रहा है ?जो होना चाहिये। पहले तो हम अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे परन्तु आज जब हमें अधिकार प्राप्त हो गया है तो उन अधिकारों का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? कटु सत्य तो यह है कि प्राप्त आधिकारों को गम्भीरता को कोई समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है दूसरा कटु सत्य यह है कि जब किसी आन्दोलन को सफ़ल बनाने में बहुत सारे लोग लगे हों उनमें से सब एक तरफ़ हो जायें सफ़लता का श्रेय किसी एक को मिल जाये तो ऐसी सफ़लता आसानी से शेष लोगों को स्वीकार नहीं होती है जबकि सत्यता तो यह है कि प्राप्त सफ़लता आज ज़रूर एक संस्था विशेष के रूप में नज़र आ रही है लेकिन यदि हम दूसरे पहलू से देखें तो निश्चित तौर पर प्राप्त सफ़लता के दूरगामी परिणाम होंगे और जिसका लाभ वह सभी लोग उठा सकते हैं जो इस आन्दोलन से जुड़े हैं लेकिन इसकी प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि सुखद परिणाम के लिए प्रतीक्षा कभी भी खराब नहीं होती है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस प्रतीक्षा के दर्शन यदाकदा ही होते हैं यदि वास्तव में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सही व समर्पित व्यक्ति हैं तो व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर जनहित की बात करनी होगी यदि हम आन्दोलन के सुस्त होने के पहलुओं पर विचार करते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल कर आते हैं जिन्हें हम सब स्वीकारते हैं परन्तु व्यक्तिगत महत्वाकक्षाओं के चलते लीक से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आन्दोलन आज भी गति पकड़ सकता है बशर्ते उसकी दिशा ठीक हो, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन कई दिशाओं में बह रहा है, कोई संगठन कानून बनवाने की बात करता है, तो कोई संगठन लोकसभा व राज्य सभा में बिल लाकर उस पर चर्चा कराने की बात करता है, तो कोई संगठन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यु मेडिकल सिस्टम के बारे में चर्चा करता है, तो कोई सम्पूर्ण मान्यता की बात करता है और कुछ लोग अभी भी हैं जो न्यायालय की बात करते हैं आन्दोलन एक, स्थिति भी एक और सब की इच्छा भी एक कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो जब सब लोगों का उद्देश्य एक है तो दिशायें अलग–अलग क्यों ? अधिकार पाना सबका अधिकार है और उन अधिकारों का उपयोग करना भी हर एक के लिए आवश्यक है परन्तु यहाँ तक पहुँचा कैसे जाये ?इसपर एक सामुहिक राय बनानी होगी। क्योंकि जब तक एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग–अलग ढंग से कार्य किये जायेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति थोड़ी दुष्कर हो जाती है और अगर यही प्रयास सामुहिक रूप से किये जायें ! यहाँ पर निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ पल के लिए विराम देना होगा। यह बात बिल्कुल सत्य समझिये कि जब भी कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कुछ प्राप्त होगा उस समय जो जिस लायक होगा उसे अपना हिस्सा अवश्य प्राप्त होगा इन सब बातों पर गम्भीरता से चिन्तन करते हुए ऐसी रणनीति बनानी चाहिये जिससे सभी का कल्याण हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन की गम्भीरता को कभी भी कम करके नहीं आकनी नहीं चाहिये जो लोग आज शान्त हैं पता नहीं कब ज्वालामुखी के लावे की तरह उबल पड़ें ऐसी स्थिति आने के पहले ही हमें स्थिति साम्भालिनी होगी चूंकि न तो चिकित्सकों का जोश कम हुआ है और न ही उत्साह बस ज़रूरत है इनको नई ऊर्जा देने की यद्यपि इसके लिए प्रयास हो रहे हैं पूरे देश में सम्मेलनों का दौर चल रहा है लेकिन इन सम्मेलनों में वह बात नहीं है जो पहले होती थी। आज हर चिकित्सक कुछ पाना चाहता है और वास्तविक पाना चाहता है झूठे और खोखले वादों में अब वह नहीं आता इसलिए हर चिकित्सक को वास्तविकता से परिचित कराना होगा और उसे इतना शिक्षित कर देना होगा कि वह समझ ले कि प्राप्त अधिकार उसे सहजतापूर्वक कार्य करने का अधिकार देते हैं लेकिन इस अधिकार के उपयोग के लिए जो कर्तव्य हैं उनका पालन भी उसी चिकित्सक को करना होगा। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में बैठें अपने चिकित्सकों से बात करते हैं तो उनके अन्दर एक पीड़ा का दर्शन होता है इस पीड़ा को समाप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है कि ऐसे चिकित्सकों को सामने लाया जाये उनकी प्रतिभा का परिचय सबसे कराया जाये आज भी बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली चिकित्सक हैं जो गुमनामी में काम कर रहे हैं ऐसे प्रतिभाशाली चिकित्सकों की खोज होनी चाहिये उन्हें उचित सम्मान भी मिलना चाहिये आज स्थिति यह है कि जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें वही लोग ईद–गिर्द घूमते हैं जो आयोजन कर्ता के आसपास रहते हैं या फिर स्वयं संगठन या संस्था चलाते हैं, हम इन लोगों से कोई विरोध नहीं रखते लेकिन जो वास्तविक चिकित्सक हैं उनका भी सम्मान होना चाहिये ऐसा करने से उनके अन्दर उत्साह का भाव जागृत होता है और वह भी आन्दोलन को गति देने में अपना सर्वस्य झोंक देता है। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जब उनसे आन्दोलन के विषय में चर्चा की गयी तो उन्होनें दबी जुबान से कहा कि प्रयोग तो हमार किया जाता है लेकिन सम्मान व शोभा तो वही पाते हैं जो इर्द–गिर्द रहते हैं। लेकिन आजकल एक बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुतायत से दिखायी देती है वह है गणेश परिक्रमा की, अधिकांश संगठनों में चाटुकारों की भरमार है जो संचालकों के आस–पास घूमते हैं आन्दोलन की कमान उन्हीं हाथ में है जिन्हें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, स्वयं को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए विकल्प तलाश लिये हैं ऐसे लोग दूसरों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सुरक्षा देने का झण्डा उठायें हैं, इस तरह के आन्दोलनकारियों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कितना भला होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कभी–कभी तो कुछ समर्पित कार्यकर्ता इतने निराश दिखते हैं कि उनके अन्दर ऊर्जा का संचार करने के लिए एक नई मनोदशा निर्मित करनी पड़ती है, उत्साह की कमी नहीं होनी देनी चाहिये। यह उन सारे संगठनो का दायित्व है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन को अन्त तक पहुँचाना चाहते हैं वर्तमान युग अर्थ युग है हर व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता है अर्थ प्राप्ति में इतना लीन नही होना चाहिये कि उद्देश्य ही अर्थहीन हो जाये, जो समर्पित और तत्पर कार्यकर्ता है ऐसे समर्पित और तत्पर कार्यकर्ताओं को उचित दिशा और उत्साह मिलते रहना चाहिये क्योंकि जो लोग या जो संगठन इस आन्दोलन को चला रहे हैं उनका कहीं न कहीं कोई स्वार्थ अवश्य जुड़ा होता है लेकिन जो समर्पित व्यक्ति हैं उनको इतना ही लाभ होना है कि चिकित्सा पद्धति स्थापित हो जायेगी। कुछ युवा और उत्साही कार्यकर्ता अब इस कदर अनुत्साही हो गये हैं कि वह कहने लगे हैं कि अब और नहीं अब और नहीं, गम के प्याले और नहीं । कुछ तो यह कहते हैं कि तूँ प्यार प्रीति चिलायेगा तो अपना गला गवांयेगा। लेकिन यह स्थिति क्यों बनी ?इसके तह पर हमें जाकर ऐसे चिकित्सकों का उत्साहवर्धन करना होगा और उन वास्तविक कारणों का पता लगाना होगा कि वह कौन से कारक हैं जो उत्साह में लगातार कमी कर रहे हैं आन्दोलन चलता रहेगा और उत्साही इसमें शामिल हो जायेगा, लेकिन यह तभी सम्भव है जब हर बात और हर कार्य पारदृश्यी हो सिर्फ़ हितों से कभी काम नहीं चलता है जब परहित होगा, तभी स्वहित भी सम्भव है, अगर किसी के मन में यह धारण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन कोई एक ही व्यक्ति चला सकता है उसके अलावा इस आन्दोलन को कोई नहीं चला सकता तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। आज जो शिथिलता दिख रही है आने वाले दिनों में वह तत्परता में बदल जायेगी जो लोग सरकारी बोर्ड के गठन का मांग करते हैं परमात्मा उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगा। सरकारी बोर्ड का गठन भी होगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नियमन भी होगा परन्तु यह सब कोरी कल्पनाओं से सम्भव नहीं है इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे, प्रयास सम्भव है एक बार या दो बार में सफ़ल न हो इससे निराश नहीं होना होगा यह बात निश्चित रूप से तय मानिये कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति कब सुधरेगी लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही एक क्रांन्तिकारी परिवर्तन होने वाला है और यह सुखद परिवर्तन हम सबको राहत प्रदान करेगा। लेकिन इस सुख का उपभोग फिर वही व्यक्ति उठा पायेंगे जो वाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव, में पारित आदेशों के अनुसार स्वयं को यथेष्ठ पायेंगे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन करना होगा लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए हमें आन्दोलन में धार देनी होगी अधिकारिता के साथ देश का हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ कार्य करे इसी प्रतिबद्धता के साथ हम सबको लगना होगा चूंकि कर्मयोग का सिद्धान्त है कि किये गये कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए परिणाम आना निश्चित है यह अलग बात है कि परिणाम के अर्थ भिन्न–भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं।

अन्त में सभी साथियों से यह निवेदन है कि सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात होनी चाहिये स्वयं को गौण करके सर्वहित का चिन्तन हो क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिरन्तन है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथ आन्दोलन की राह पर

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रोज़ नये अधिकार मिल रहे हैं परन्तु इन अधिकारों को पूरी तौर पर प्रयोग में नहीं लाया पा जा रहा है, इससे प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ आक्रोशित है एक तरफ़ बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 अपने प्रयासों से प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए जीजान से लगा है शासन से लेकर महानिदेशक तक के आदेश उसके पास उपलब्ध हैं।परन्तु अधिकारी अभी भी लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उपेक्षित दृष्टि से देख रहे हैं परिणामतः इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक गेंद की तरह इधर से उधर घूम रहा है शासन कहता है अधिकार दे दिया, अधिकारी कहता है हमें मिला नहीं ! जब उसको वास्तविकता से परिचित कराया जाता है तो कहता है कि आदेश स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता और अनस्पष्टता के खेल में बेचारा चिकित्सक पिस रहा है धीरे– धीरे मनोबल भी कम हो रहा है यद्यपि बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं हार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक यह बात पहुँचा दी गयी है हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथों की समस्याओं से अवगत हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करा ने में रूचि भी ले रहे हैं इसपर गम्भीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेंगे।

इस विषय पर कोई ठोस रणनीति बनाने के लिए 16 जनवरी, 2016 को बोर्ड के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 15 फरवरी तक सरकार द्वारा सापेक्ष और स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथ लखनऊ में जुट कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दबाव बनायेंगे। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को चाहिये कि अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ में आकर अपनी मांग जोर दार ढंग से उठाये।

शोक समाचार

बहराइच जनपद के समर्पित इलेक्ट्रो होम्योपैथ व बहराइच इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टडी सेन्टर के अनुदेशक डा0 भीखू प्रसाद विश्वकर्मा का आकस्मिक निधन 19 जनवरी, 2016 को हो गया यह जानकारी डा0 भूप राज श्रीवास्तव ने टेलीफोन से बोर्ड कार्यालय को दी । समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिवार अपने समर्पित कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त करता है और परमपिता परमात्मा से आत्मा की शान्ति की कामना करता है। इसी क्रम में फैजाबाद के चिकित्सक नरेन्द्र कुमार तिवारी संचालक परमेन्दु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कालेज के निधन पर बोर्ड परिवार शोक व्यक्त करता है व मृतक आत्मा की शान्ति का कामना करता है।

मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक .... प्रथम पेज से आगे

द्वारा मउ में डा0 एआज अहमद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया व निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया इसी तरह का कार्यक्रम आजमगढ़ में डा0 मुश्ताक अहमद व इफ्तिखार अहमद द्वारा आयोजित किया गया । बहराइच में स्व0 वी0पी0विश्वकर्मा द्वारा अपने जीवन का अन्तिम कार्यक्रम आयोजित किया गया। अम्बेदकरनगर व फैजाबाद में भी बृहद कार्यक्रम आयोजित हुए जहां पूर्व सांसद एम0ए0इदरीसी द्वारा एक सुन्दर कार्यक्रम आयोजित कर चिकित्सकों में जागरूकता पैदा की गयी रायबरेली में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें रायबरेली,लखनऊ व उन्नाव आदि जनपदों के सैकड़ो चिकित्सकों सम्मिलित हुए जिन्होने महात्मा मैटी के सिद्धान्तों पर चलते रहने का संकल्प लिया इसी तरह महोबा में डा0 शिवशंकर अवस्थी द्वारा कार्यक्रम समय पूरा करती है तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि यह पद्धति कितनी उपयोगी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जन्म सन् 1865 में हुआ था इसके जन्मदाता थे डा0 काउण्ट सीज़र मैटी, डा0 मैटी ने जनकल्याण की भावना से इस पद्धति का आविष्कार किया था जो कल की तुलना में आज ज़्यादा उपयोगी व प्रभावी है।

यह किसी को निश्चित ज्ञात नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार महात्मा मैटी द्वारा किस तिथि को किया गया इसलिए आविष्कार के वर्ष 1865 के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं और डेढ़ सौ वर्ष की इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अभिवादन करने को तैयार हैं, इन 150 वर्षों के जीवनकाल में तमाम उतार चढ़ाव देखे, इटली से चलकर भारत आने में लगभग 15–20 वर्ष लगे, भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आगमन 1880 से 85 के बीच प्रमाण प्राप्त होते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्वाधिक विकास भारत वर्ष में ही हुआ है और भारत वर्ष के ही चिकित्सकों द्वारा इस पद्धति का प्रसार विश्व के अन्य देशो में हुआ है। वर्तमान में लगभग 60 देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचलित होने की जानकारियां मिलती हैं, शायद यह भारत वर्ष के लोगों का सौभाग्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सालय जो फादर मुलर द्वारा बनवाया गया जिसके निमार्ण हेतु मैटी द्वारा अनुदान भी दिया गया जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अवधारण का जीता जागता प्रमाण है वह कनकनैडी, मंगलौर(कर्नाटक) में आज भी स्थित है। भारत से लगे हुए देश पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मारिशस व वेस्टइण्डीज़ के कई देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनी उपस्थिति दर्शाती है लंदन,बरिमिघंम व आस्ट्रलिया देशो में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संचालित हो रही है। यह तो रही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रसार की बात लेकिन सबसे ज्यादा कार्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में सिर्फ भारत वर्ष में हो रहा है आज भारत वर्ष के सभी प्रान्तो और केन्द्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जड़े बहुत मजबूत है और यह मजबूती धीरे – धीरे बढ़ती ही जा रही है चूंकि भारत वर्ष में किसी भी चिकित्सा पद्धति को संचालित होने के लिए शासकीय अनुमति का होना बहुत आवश्यक है जबकि विश्व के अन्य देशो में ऐसा नहीं है। भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बार – बार परीक्षायें देनी पड़ी है और हर परीक्षा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी खरी भी उतरी है भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने में बहुत सारे संगठनो का योगदान है हर संगठन ने अपने अपने हिसाब से इस चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के अथक प्रयासों से 21 जून,2011 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक आदेश पारित किया है। इसी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासनादेश जारी किया है यह एक उपलब्धि है हमें आज यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इन 150 वर्षो में हमने क्या खोया और क्या पाया बल्कि हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इस कदर आगे बढ़ाया जाये कि यह चिकित्सा पद्धति अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति की भांति फलेफूले और जन विश्वास हासिल करें। किसी भी चिकित्सा पद्धति की सफलता उम्र से ज्यादा उसके कार्य पर होती है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो भी समर्थक है वे पूरे मनोभावो से व पूरी अधिकारिता के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास लग जाये और विश्व के पटल पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वह ऊचाईयां प्राप्त करें जिसकी वह अधिकारी है।

हम वर्ष 2016 में यह संकल्प लें आने वाले वर्षो में इतना काम किया जायेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी भी चिकित्सा पद्धति से पिछड़ी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और हर क्षेत्र में सम्भावनायें भी असीम है। 150 वर्ष का त्योहार पूरे देश में मनोयोग से मनाया जायें यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति हमारा सच्चा प्रेम होगा।

जनपद देवरिया में आयोजित मैटी दिवस कार्यक्रम में डा0 पी0 के श्रीवास्तव एवं अन्य चिकित्सकगण।

सहित पूर्व मुख्यचिकित्साधिकारी शामिल हुए लखनऊ में डा0 आर0के0 कपूर द्वारा सीतापुर में ए0ए0इदरीसी द्वारा,शाहजहांपुर में डा0 अम्मार विन साबिर द्वारा व लखीमपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजत हुआ इस कार्यक्रम में उ0प्र0 शासन के पूर्व मंत्री पटेल रामकुमार वर्मा व पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0पी0एस0 चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डा0 राकेश शर्मा द्वारा किया गया। मुरादाबाद में डा0 सुबोध कुमार सक्सेना व अलीगढ़ में डा0 पी0के0राघव द्वारा फिरोजाबाद में डा0 शिवकुमार पाल,प्रतापगढ़ में डा0 आयोजित किया गया। हमीरपुर में एक कार्यक्रम आयोजित जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोर्ड के प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर उपस्थिति हुए। इस अवसर बोर्ड के मुख्यालय लखनऊ में श्री नसीम इदरीसी व मो0 वसीम इदरीसी द्वारा आयोजित किया गया। कसी व्यक्ति की उम्र यदि इस युग में 150 वर्ष की हो जाये लोग उसे बड़े उत्साह से देखते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसने कई पीढ़ियां देख डाली लेकिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि इतनी लम्बी उम्र तक इनकी क्रियाशीलता वाकई काबिलेतारीफ़ है लेकिन जब कोई चिकित्सा पद्धति 150 वर्ष का लम्बा

उ0प्र0 सरकार के खाद्यय प्रस्सकरण एवं उद्यान राज्यमंत्री मा0 ठाकुर मूलचन्द्र चौहान का सम्मान करते हुये धामपुर के चिकित्सकगण